

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला
राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 50/2019

किस्म :- वाद

दायर दिनांक : 03.09.2019

निर्णय दिनांक: 10.03.2025

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से :- परोकार सरकार

विपक्षीगण की ओर से :- एकपक्षीय

प्रार्थी परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्व गांव भादला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द के आराजी नम्बर 1792/1577 रकबा 0.5100 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में लेण्ड-होल्डर है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर अप्रार्थी ने आराजी नम्बर 1792/1577 रकबा 0.5100 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर भूमि पर ईट भट्टा संचालित है। अप्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के कार्य में लिया जाना शुरू कर दिया है इसलिए अप्रार्थी ने अकृषि कार्य कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तों को भंग किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय घोषित करवाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2022 को प्रकरण में तहसीलदार आमेट से राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 90ए के तहत वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसील आमेट की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि आराजी नम्बर 1792/1577 रकबा 0.5100 हैक्टेयर में से 0.1000 हैक्टेयर भूमि पर ईट भट्टा लगा हुआ है। विवादित भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य किया जा रहा है। दिनांक 30.10.2024 को अप्रार्थी को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

किया गया किन्तु अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय मे अनुपस्थित रहा जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस जाहिर किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य रहा है जिससे अप्रार्थी विवादित भूमि को खातेदारी में रखने का स्वत्व: खो चुका है एवं अप्रार्थी को बेदखल किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस पर चिन्तन व मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के ईट भट्टा लगाकर वाणिज्यिक उपयोग उपभोग करते हुये अकृषि कार्य किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव भादला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजमसन्द के आराज़ी नम्बर 1792/1577 रकबा 0.5100 हैक्टेयर मे से 0.1000 हैक्टेयर भूमि मे अप्रार्थी को बेदखल कर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज करते हुए तहवील सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार आमेट को लिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम की जावे।

(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आदेश दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।



(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 50/2019

किस्म :- वाद

दायर दिनांक : 03.09.2019

निर्णय दिनांक: 10.03.2025

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपूत निवासी भादला तहसील आमेट जिला राजसमन्द

.....विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से :- परोकार सरकार

विपक्षीगण की ओर से :- एकपक्षीय

.....विपक्षीगण

मे इस आशय में दिनांक 10.03.2025 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव भादला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द के आराजी नम्बर 1792/1577 रकबा 0.5100 हैक्टेयर मे से 0.1000 हैक्टेयर भूमि मे अप्रार्थी को बेदखल कर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज करते हुए तहवील सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक को 10.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगी कर जारी की गई।



(गोविन्द सिंह)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी अमेट
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)